

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 05 जनवरी, 2024

उद्घोषित: 08 जनवरी, 2024

रि.या.(सि.)-बौ.सं.अनु. 45/2023 और सि.वि. 150/2023

हरियाणा कीटनाशक निर्माता संघ

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री श्रवण कुमार बंसल और श्री अजय

अमिताभ सुमन, अधिवक्तागण

बनाम

पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक और अन्य

.....

प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री हरीश वैद्यनाथनशंकर,

कें.सर.स्था.अधि. के साथ श्री श्रीश

कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई

पाइकडे और श्री कृष्णन वी.,

अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

निर्णय

अनीश दयाल, न्या.

1. यह याचिका, दिल्ली के पेटेंट कार्यालय, पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक द्वारा धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध में पारित दिनांक 09 जनवरी 2023 के आक्षेपित आदेश को अभिखंडित करने के लिए दायर की गई है, जो प्रत्यर्थी सं.

2 द्वारा “*खरपतवारनाशक संरूपण और उसके निर्माण की विधि सं. 538/डीईएल/2010डी.ई.एल./2010*” के रूप में पेटेंट शीर्षक प्रदान करने के लिए लगाए गए आवेदन के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था। प्रत्यर्थी सं.

1, पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक को पेटेंट देने के लिए आक्षेपित आवेदन के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्वीकृति-पूर्व विरोध को पुनर्जीवित करने और याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद उसका निपटान करने के लिए निर्देश देने के लिए और राहत मांगी गई है।

2. याचिकाकर्ता हरियाणा में कीटनाशक निर्माताओं का एक संघ है, जिसके सदस्य 15 से अधिक वर्षों से कीटनाशकों, शाकनाशी, कीटनाशी, उर्वरकों, कवकनाशी आदि के व्यापारिक व्यवसाय में शामिल हैं।

3. पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं: -

I. प्रत्यर्थी सं. 2 (क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड) ने प्रत्यर्थी सं. 1 के समक्ष 11 दावों के साथ 2010 में उक्त पेटेंट आवेदन दायर किया।

- II. 09 अक्टूबर, 2013 को याचिकाकर्ता ने उक्त पेटेंट आवेदन को चुनौती देते हुए पेटेंट अधिनियम, 1970 (उक्त अधिनियम) की धारा 25(1) के तहत स्वीकृति-पूर्व विरोध नोटिस दायर किया। उक्त के विरोध में व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया था। विरोध के इस नोटिस के साथ, याचिकाकर्ता ने unitedpatent_ipr@sify.com और unitedmark@sify.com के रूप में तामील के लिए अपना ईमेल दिया। लैंडलाइन और मोबाइल दोनों तरह के संपर्क नंबर भी प्रदान किए गए थे।
- III. प्रत्यर्थी सं. 1 ने 30 मई, 2017 को प्रत्यर्थी सं. 2 को 05 जुलाई, 2017 को पहली जांच रिपोर्ट जारी की, याचिकाकर्ता ने पेटेंट नियंत्रक को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्होंने अपना ईमेल आईडी unitedmark@sify.com और unitedpatent_ipr@sify.com से बदलकर patent@unitedipr.com और unitedpatent@unitedipr.com कर लिया है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने 12 फरवरी 2018 को पहली जाँच रिपोर्ट का जवाब दाखिल किया।
- IV. 06 जनवरी, 2020 को, प्रत्यर्थी सं. 2 ने याचिकाकर्ता के स्वीकृति-पूर्व विरोध का जवाब और प्रस्तुतिकरण दायर किया।

- V. 07 अक्टूबर, 2020 को, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 10 नवंबर, 2020 को स्वीकृति-पूर्व विरोध की सुनवाई का नोटिस उन्हें पुराने ईमेल आईडी unitedpatent_ipr@sify.com पर प्राप्त हुआ था।
- VI. 07 नवंबर, 2020 को, याचिकाकर्ता ने अपनी नई ईमेल आईडी अर्थात् unitedpatent@unitedipr.com से स्थगन अनुरोध दायर किया और परिणामस्वरूप मामला स्थगित कर दिया गया। यह याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई पहली स्थगन थी।
- VII. 09 नवंबर, 2020 को, 15 दिसंबर, 2020 के लिए निर्धारित स्वीकृति-पूर्व विरोध की सुनवाई का नोटिस याचिकाकर्ता के एजेंट को नए ईमेल आईडी patent@unitedipr.com और पुराने ईमेल आईडी unitedpatent_ipr@sify.com दोनों पर दिया गया था।
- VIII. 10 दिसंबर, 2020 को, याचिकाकर्ता ने अपने नए ईमेल आईडी unitedpatent@unitedipr.com से स्थगन अनुरोध दायर किया और परिणामस्वरूप मामला स्थगित कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई यह दूसरी स्थगन थी।
- IX. 08 सितंबर, 2022 को, 21 नवंबर, 2022 के लिए निर्धारित सुनवाई नोटिस याचिकाकर्ता के पुराने ईमेल आईडी पर

unitedpatent_ipr@sify.com पर भेजा गया था, जिसे याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एक्सेस करने में असमर्थ था।

- X. 09 जनवरी, 2023 को, याचिकाकर्ता के स्वीकृति-पूर्व विरोध को याचिकाकर्ता की ओर एकपक्षीय रूप से खारिज कर दिया गया।
- XI. 12 सितंबर, 2023 को याचिकाकर्ता द्वारा तामील की कमी के कारण याचिकाकर्ता की सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में अभ्यावेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्हें सितंबर, 2023 के दूसरे सप्ताह में ही अपने स्वीकृति-पूर्व विरोध की अस्वीकृति के बारे में पता चला।
- XII. वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और 30 अक्टूबर, 2023 को सूचीबद्ध की गई थी। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तारीखों के अनुक्रम के साथ-साथ केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर की प्रस्तुतियों को भी नोट किया, जिन्होंने पेटेंट नियमों के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए कहा कि एक विशिष्ट प्रोटोकॉल था जिसका पालन किया जाना आवश्यक था यदि कोई व्यक्ति तामील के लिए पते में बदलाव की मांग करता है। मामले को 31 जनवरी, 2024 के लिए फिर से अधिसूचित किया गया और न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया।

XIII. 18 दिसंबर, 2023 को, याचिकाकर्ता द्वारा मामले में सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए दायर आवेदन के अनुसार, यह दलील देते हुए कि स्वीकृति-पश्चात विरोध दाखिल करने का समय 09 जनवरी, 2024 को समाप्त हो जाएगा, इस न्यायालय ने 05 जनवरी, 2024 को सुनवाई की तारीख तय की और मामले की सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को नोट किया गया और निर्णय सुरक्षित रखा गया।

4. पक्षकारगण की प्रस्तुतियाँ तीन पहलुओं पर केंद्रित थीं:

- I. सुनवाई की सूचना से संबंधित याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच संसूचना के आदान-प्रदान से संबंधित घटनाओं का वास्तविक अनुक्रम। जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि उनको संसूचना 2022 में नए ईमेल पते पर भेजा जाना चाहिए था, प्रत्यर्थीगण ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 इसे नए ईमेल पर भेजने के लिए बाध्य नहीं था, क्योंकि अधिनियम और नियमों के अनुसार ईमेल में परिवर्तन के लिए उचित संसूचना नहीं भेजा गया था।
- II. अधिनियम और नियमों के विशिष्ट प्रावधानों की प्रासंगिकता और प्रयोज्यता का विरोध किया गया था। जबकि याचिकाकर्ता का दावा है कि अधिनियम और नियमों में किसी विशेष रूप में पते के परिवर्तन के लिए संसूचना को

अनिवार्य करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, प्रत्यर्थागण का कहना है कि कुछ विशिष्ट प्रावधानों के लिए यह आवश्यक है कि औपचारिक और उचित संसूचना भेजा जाए, और प्रत्यर्था सं. 2 बदले हुए ईमेल पते का ट्रैक रखने के लिए बाध्य नहीं है।

III. स्वीकृति-पश्चात विरोध के रूप में एक वैकल्पिक उपाय की संभावना याचिकाकर्ता के पक्ष में है। याचिकाकर्ता का दावा है कि स्वीकृति-पूर्व विरोध की सुनवाई के चरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करने कारण, उन्हें उपचार मांगने का निहित अधिकार है अधिकार था और केवल स्वीकृति-पश्चात विरोध की उपलब्धता उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। प्रत्यर्थागण ने दावा किया कि स्वीकृति-पश्चात विरोध का वैकल्पिक उपाय याचिकाकर्ता के लिए पूरी तरह से उपलब्ध है, और यह कि पेटेंट अब पर्याप्त समय के बाद दिया गया है, और प्रत्यर्था सं. 1 के पास पेटेंट का उपयोग करने के लिए केवल 6 साल हैं जो 2010 में दायर किया गया था।

विश्लेषण

I. घटनाओं का अनुक्रम

5. जहां तक मुद्दा सं. 1 का संबंध है, घटनाओं के अनुक्रम के संबंध में अभिलेख का अवलोकन करना आवश्यक था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा पहला संसूचना अक्टूबर 2013 में उनके द्वारा दायर स्वीकृति-पूर्व विरोध था।

उक्त विरोध पर श्री एस.के. बंसल, अधिवक्ता, पंजीकृत पेटेंट एजेंट और याचिकाकर्ता के एजेंट के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त विरोध के साथ तामील के पते के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान किए गए थे: -

“सुदर्शन कुमार बंसल
अधिवक्ता एवं पंजीकृत पेटेंट एजेंट
मैसर्स यूनाइटेड ओवरसीज पेटेंट फर्म
52, सुखदेव विहार, मथुरा रोड
नई दिल्ली – 110025
टेलीफोन नंबर: (011)-2684-3455; 3295-9881
फैक्स नंबर: (011)-2682-8578; 2693-6783
मोबाइल नंबर: 9810132015
ईमेल: unitedpatent_ipr@sify.com; unitedmark@sify.com”

याचिकाकर्ता के अनुसार जिस पत्र ने उनके ईमेल में बदलाव की सूचना दी थी, वह दिनांक 05 जुलाई, 2017 को था और पेटेंट नियंत्रक को संबोधित किया गया था और जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

“महाशय,

मैं निम्नलिखित बातें बताना चाहता हूँ:

1. मैं 353/आई.एन.पी.ए नंबर के साथ एक पंजीकृत पेटेंट एजेंट हूँ और मैंने भारत और विदेशों में ग्राहकों के लिए कई पेटेंट आवेदन दायर किए हैं।
2. हमें आवेदकों द्वारा ईमेल आईडी को अद्यतन करने के बारे में कार्यालय आदेश संख्या 23 मिला, जिसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था।

3. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया ईमेल आईडी nitedpatent@sify.com से unitedpatent@unitedipr.com और patent@unitedipr.com में बदलने के लिए संलग्न एक्सल शीट में दिए गए विवरण के साथ अपनी फ़ाइलों/पेटेंट आवेदनों के रिकॉर्ड अद्यतन करें। कृपया पावती रसीद स्वीकार करें।
धन्यवाद”

6. प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा 07 अक्टूबर, 2020 को सुनवाई नोटिस पुराने ईमेल पते unitedpatent.ipr@sify.com को संबोधित किया गया था। उक्त ईमेल पते का संदर्भ उक्त नोटिस में विरोधियों की सूची में भी पाया गया, साथ ही नोटिस में "भेजे गए ईमेल" क्षेत्र में भी पाया गया। इस नोटिस के संबंध में याचिकाकर्ता याचिका के पैरा 16 में कहा है कि "याचिकाकर्ता को यह पता चला था" कि सुनवाई का नोटिस उनके पुराने ईमेल पते पर भेजा गया था। यह पता किस आधार पर लगाया गया था, यह याचिकाकर्ता के पैरा 16 प्रकथनों से स्पष्ट नहीं होता है।

7. याचिकाकर्ता द्वारा 07 नवंबर, 2020 को मांगे गए पहले स्थगन का अनुरोध unitedpatent@unitedipr.com से भेजा गया था और लेटरहेड पर नए ईमेल का उल्लेख देखा गया है। 09 नवंबर, 2020 को दूसरी सुनवाई नोटिस याचिकाकर्ता के पुराने और नए ईमेल पर भेजा गया था, जैसा कि उक्त नोटिस के "भेजे गए ईमेल" क्षेत्र में उल्लिखित ईमेल की सूची से स्पष्ट है। हालाँकि, उक्त नोटिस के विरोधियों

की सूची में केवल पुराने ईमेल का ही उल्लेख है। इस नोटिस के संबंध में, याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका के पैरा 18 में प्रकथित किया है कि उक्त नोटिस पुराने ईमेल और नए ईमेल दोनों पर भेजा गया था। इस संबंध में जबकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पेटेंट कार्यालय ने नए ईमेल पंजीकृत किए थे, प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत किया कि तथ्य यह है कि यह पुराने ईमेल पर भी प्राप्त हुआ था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता कि उनके पास अभी भी पुराने ईमेल पर एक्सेस है। इसके बाद के ईमेल दिनांक 09 नवंबर, 2020 और 17 नवंबर, 2020 को पुराने और नए ईमेल पर भी पेटेंट कार्यालय से भेजे गए थे। उसी के संबंध में, याचिकाकर्ता पैरा 19 में प्रकथन किया है कि वे वास्तव में इन दोनों ईमेल पर प्राप्त हुए थे। इसके बाद 10 दिसंबर, 2020 को स्थगन अनुरोध याचिकाकर्ता द्वारा नए ईमेल से लेटरहेड के साथ भेजा गया था जिस पर नया ईमेल भी उल्लिखित किया गया था।

8. पेटेंट आवेदन के मूल्यांकन में दो वर्ष का विलंब हो गया, तथा इसमें याचिकाकर्ता से संबंधित कारणों से इसमें देरी नहीं हुई, और जब मामले की सुनवाई 21 नवंबर, 2022 को होनी थी, तो आक्षेपित नोटिस 08 सितंबर, 2022 को भेजा गया। इस नोटिस में जबकि विरोधियों की सूची में याचिकाकर्ता के विवरण में वही पुराना ईमेल पता है, जिन ईमेलों पर नोटिस भेजा गया था, उनमें याचिकाकर्ता के नए ईमेल पते नहीं हैं, जैसा कि पहले 2020 में था और इसके

बजाय केवल पुराना ईमेल पता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में दावा किया है कि पुराना ईमेल उस समय तक निष्क्रिय हो गया था और उक्त नोटिस कभी भी ध्यान में नहीं आया, और उन्होंने पेटेंट कार्यालय में जांच करने के बाद विपक्ष की एकतरफा अस्वीकृति का पता चला।

9. उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के अनुसार, *सबसे पहले*, ईमेल पते में परिवर्तन जुलाई, 2017 में सूचित किया गया था, और संसूचना पेटेंट नियंत्रक को संबोधित किया गया था, लेकिन किसी विशेष प्रारूप में नहीं था। यह प्राप्त हुआ या नहीं, यह प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था; दूसरा, कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 09 नवंबर, 2020 (सुनवाई सूचना) और 17 नवंबर, 2020 और 24 नवंबर, 2020 के अनुवर्ती ईमेल में नए ईमेल पतों का उपयोग किया गया था; तीसरा, पुराने ईमेल का उल्लेख प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा अपने नोटिसों में विरोधियों की सूची के हिस्से के रूप में लगातार किया जाता रहा।

10. इसलिए, यह मुद्दा उठता है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा 2017 में भेजा गया संसूचना पते के परिवर्तन के पेटेंट कार्यालय को औपचारिक स्वीकार्य नोटिस था।

II. नियम और प्रावधान

11. याचिकाकर्ता के खिलाफ जो तर्क दिया गया है वह यह था कि पेटेंट नियमावली के नियम 5 अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में संबंधित

प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक को तामील के लिए एक पता देना अनिवार्य है जिसमें भारत में एक डाक पता और एक ईमेल पता शामिल है और जिसे कार्यवाही के सभी उद्देश्यों के लिए संबंधित व्यक्ति का पता माना जाएगा। पक्षकारगण के बीच कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा विरोध के नोटिस में पता और ईमेल (साथ ही एक मोबाइल सं.) देने से उक्त शर्त पूरी हो गई थी। नियम 6(2) के अनुसार, किसी कार्यवाही में आवेदक/विरोधी को लिखित संसूचना को उचित रूप से संबोधित माना जाता है, यदि इसे आवेदन या विरोध के नोटिस पर दिए गए डाक या ईमेल पते पर भेजा जाता है। पेटेंट नियमावली, 2003 के नियम 5 और 6 का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

"5. अधिनियम या इन नियमों से संबंधित किसी भी कार्यवाही में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पेटेंटकर्ता, नियंत्रक को तामील के लिए एक पता प्रदान करेगा, जिसमें भारत में एक डाक पता और एक ई-मेल पता शामिल होगा, और तामील के लिए ऐसा पता ऐसी कार्यवाही या पेटेंट से जुड़े सभी उद्देश्यों के लिए कार्यवाही में संबंधित व्यक्ति या पेटेंट प्राप्तकर्ता के पते के रूप में माना जाएगा। जब तक तामील के लिए ऐसा पता नहीं दिया जाता है, तब तक नियंत्रक किसी भी कार्यवाही या पेटेंट को आगे बढ़ाने या उसका निपटान करने या अधिनियम या इन नियमों के तहत दी जाने वाली किसी भी सूचना को भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा और नियंत्रक मामले में स्वतः निर्णय ले सकता है: बशर्ते कि एक पेटेंट एजेंट को नियंत्रक को भारत में पंजीकृत एक मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

6. दस्तावेजों को अनुमति देना और पेश करना—(1) कोई भी आवेदन, नोटिस या अन्य दस्तावेज जिसे पेटेंट कार्यालय में या अधिनियम या इन नियमों के तहत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति को दायर करने, अनुमति देने, बनाने या देने के लिए अधिकृत या अपेक्षित किया गया है, उसे उसे हाथ से प्रस्तुत किया जा सकता है या नियंत्रक को समुचित कार्यालय में संबोधित पत्र द्वारा या उस व्यक्ति को डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या विधिवत् प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा भेजा जा सकता है। यदि इसे डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या विधिवत् प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा भेजा जाता है, तो यह माना जाएगा कि इसे उस समय दाखिल किया गया था, अनुमति दिया गया था, बनाया गया था या दिया गया था जब उस मेल को डाक या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक संचरण द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया था, जैसा भी मामला हो। इस तरह के प्रेषण को साबित करने में, यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि डाक को ठीक से संबोधित और प्रेषित किया गया था: (1क) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, पेटेंट एजेंट सभी दस्तावेजों को केवल विधिवत् प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा दाखिल करेगा, अनुमति देगा, बनाएगा या देगा, जिसमें उन दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी शामिल हैं जिन्हें मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है:

बशर्ते कि मूल दस्तावेज जिन्हें मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसा न करने पर ऐसे दस्तावेजों को फाइल नहीं किया गया माना जाएगा।

(2) किसी पेटेंटकर्ता को उसके डाक पते या ई-मेल पते पर संबोधित कोई भी लिखित संसूचना, जैसा कि पेटेंट के रजिस्टर में

या नियम 5 के तहत दी गई तामील के लिए उसका पता दर्शाया गया है, या अधिनियम या इन नियमों के तहत किसी भी कार्यवाही में किसी भी आवेदक या विरोधी को, डाक पते या ई-मेल पते पर, आवेदन या विरोध की सूचना पर दर्शाया गया है, या तामील के लिए दिया गया है, उचित रूप से संबोधित किया गया समझा जाएगा।

(3) अधिनियम या इन नियमों के तहत किसी भी कार्यवाही में पेटेंटकर्ता, या किसी भी आवेदक या विरोधी को संबोधित सभी नोटिस और सभी लिखित संसूचना, और पेटेंटकर्ता या उक्त आवेदक या विरोधी को भेजे गए सभी दस्तावेज, सिवाय इसके कि जब वे विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजे गए हों, विधिवत प्रमाणित पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा भेजे जाएंगे।

(4) अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों में किसी पेटेंटकर्ता या किसी आवेदक या विरोधी को संबोधित सूचना या लिखित संसूचना की तारीख और ये नियम यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित उक्त सूचना या लिखित संसूचना के प्रेषण की तारीख होगी, जब तक कि अधिनियम या इन नियमों के तहत अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।“

(जोर दिया गया)

12. इसलिए, यह मुद्दा उठता है कि क्या पुराने ईमेल पते पर भेजा गया 08 सितंबर 2022 का आक्षेपित संसूचना नियम 6(2) के तहत "उचित रूप से संबोधित माना गया" के रूप में पर्याप्त होगा। यह देखा जाना चाहिए कि पुराने ईमेल पते का नए ईमेल पते में परिवर्तन/अद्यतन, प्रक्रिया के अनुसार किया गया

था या नहीं। इसके लिए, प्रत्यर्थीगण ने प्रपत्र 13 का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में किसी भी संशोधन की सूचना याचिकाकर्ता को इसी प्रपत्र के माध्यम से देनी चाहिए थी। हालांकि, याचिकाकर्ता यह कहते हुए इसका जोरदार खंडन किया कि उक्त प्रपत्र अधिनियम की धारा 57 से संबंधित है जो पेटेंटकर्ता द्वारा पेटेंट के लिए एक आवेदन के संशोधन के लिए है, जिसके साथ पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न होना चाहिए। उक्त प्रपत्र नियम 81(1) को भी संदर्भित करता है जो उसी भाषा का उपयोग करता है और केवल पेटेंट के आवेदक से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि धारा 57, नियम 81(2) और प्रपत्र 13 सभी विशेष रूप से पेटेंट के लिए आवेदन, पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज के लिए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा "उससे संबंधित किसी भी दस्तावेज" वाक्यांश दिया गया व्यापक अर्थ प्रासंगिक और असंभार्य नहीं है।

13. इन प्रावधानों को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि प्रपत्र 13 सख्ती से वह प्रपत्र या प्रक्रिया नहीं हो सकती है जिसके द्वारा एक विरोधी द्वारा पते/ईमेल में परिवर्तन की सूचना दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 57 और नियम 81(1) सहपठित प्रपत्र 13, एक पेटेंटकर्ता आवेदक पर उन संशोधनों के लिए लागू होता है जिसके द्वारा वे अपने आवेदन में संशोधन चाहते हैं। प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि प्रपत्र 13 का उपयोग पेटेंट कार्यालय से पहले

पक्षकारगण द्वारा परिवर्तन दाखिल करने के लिए किया गया है, सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

14. तब इस न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा आता है कि उपयुक्त प्रपत्र क्या होगा जो एक विरोधी को नियम 5(2) के अनुपालन में अपने विरोध के नोटिस में पहले से ही सूचित डाक पते/ईमेल में बदलाव भेजने की अनुमति देगा। भले ही पक्षकारगण ने इसका उल्लेख नहीं किया हो, लेकिन यह देखा गया है कि पेटेंट नियमों में प्रपत्र 30 शामिल है जिसका उपयोग तब किया जाना है जब कोई अन्य प्रपत्र निर्धारित नहीं है और इसे नियम 8 (2) के साथ पढ़ा जाना है। उक्त प्रपत्र आवेदक/पेटेंटकर्ता/अन्य को अनुरोध के उद्देश्य, अनुरोध के विवरण और आवेदन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ ईमेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल और फैक्स नंबर सहित पते को संप्रेषित करने की अनुमति देता है। प्रपत्र 30 और नियम 8(2) संदर्भ में आसानी के लिए यहां उद्धृत किया गया है:

"8. प्रपत्र—(1) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनों के साथ दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

(2) जहां किसी भी उद्देश्य के लिए कोई प्रपत्र निर्दिष्ट नहीं है, आवेदक दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र 30 का उपयोग कर सकता है।

(जोर दिया गया)

प्रपत्र 30 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियमावली, 2003 जब कोई अन्य प्रपत्र निर्धारित न हो तो इसका उपयोग किया जाएगा [नियम 8 का उप-नियम (2) देखें]				
1. आवेदक/पेटेंटकर्ता/अन्य के नाम	मैं/हम			
2. डाक सूचक संख्या/कोड और राज्य सहित पूरा पता, ईमेल आईडी, टेलीफोन, मोबाइल और फैक्स नंबर।	मकान संख्या	--	टेलीफोन	--
	गली	--	नंबर	---
			मोबाइल नंबर	
	शहर	--		-
	राज्य	--		
	देश			
	पिन कोड	--	ईमेल आईडी	-
3. आवेदन सं./पेटेंट सं.				

4. प्रासंगिक धारा/नियम	
5. अनुरोध करने का उद्देश्य	
6. अनुरोध का विवरण	
7. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है	हस्ताक्षर
8. हस्ताक्षर करने वाले वास्तविक व्यक्ति का नाम, पदनाम और आधिकारिक मुहर, यदि कोई हो	(.....)
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, स्थान

15. कार्यप्रणाली जो भी हो, अपने बदले हुए ईमेल पते को संप्रेषित करने के लिए औपचारिक विधि का उपयोग करने की मांग नहीं करने के कारण, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे कि ईमेल पते वास्तव में पेटेंट कार्यालय के साथ अद्यतन किए गए

थे। केवल 2017 के संसूचना पर भरोसा करना, जो पेटेंट नियंत्रक को केवल एक सामान्य पत्र था (आक्षेपित पेटेंट आवेदन के संदर्भ के बिना), इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित पेटेंट आवेदन के उद्देश्यों के लिए ईमेल पते बदलने के लिए एक औपचारिक अनुरोध नहीं होगा। याचिकाकर्ता द्वारा 2017 के बाद से आक्षेपित पेटेंट से संबंधित ईमेल पते के परिवर्तन के बारे में विशिष्ट संसूचना भेजने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाय कि 2017 के संसूचना को पेटेंट कार्यालय द्वारा नोटिस किया गया था क्योंकि 09 नवंबर, 2020 को नोटिस नए ईमेल पते पर भी भेजा गया था, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सभी नोटिस (आक्षेपित नोटिस सहित) भी पुराने ईमेल पते पर लगातार भेजे गए थे और विरोधियों की सूची में, पेटेंट कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता से जुड़े औपचारिक पते के रूप में केवल पुराने ईमेल पते का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, 2020 के नोटिस, जैसा कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था, पुराने ईमेल पते पर भी प्राप्त हुए थे। 2017 से या 2020 के बाद भी 2022 तक (दो साल की लंबी अवधि) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि उनके पुराने ईमेल पते को पेटेंट कार्यालय के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और उन्हें उत्पन्न हुई स्थिति का लाभ उठाते हुए नहीं देखा जा सकता है। यह भी देखा गया है कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एक पंजीकृत पेटेंट एजेंट और एक अधिवक्ता के द्वारा किया गया है, और न्यायालय

को यह नहीं कह सकता है कि उचित कदम नहीं उठाए गए थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेटेंट कार्यालय में रिकॉर्ड ने उनके पुराने ईमेल पते को बाहर रखा और उनके नए ईमेल पते को हर संभव तरीके से और पेटेंट कार्यालय को स्वीकार्य किसी भी तरीके से शामिल किया। उन्होंने मामले की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बजाय कि इस विवादित पेटेंट के उद्देश्यों के लिए उनका नया ईमेल पता-अभिलेख पर रखा गया था और फिर नियम 5(2) के अनुसार आधिकारिक ईमेल पते के दायरे में आ सकता है-, पेटेंट नियंत्रक के कार्यालय से एक नोटिस की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना। याचिकाकर्ता द्वारा पेटेंट नियंत्रक को ईमेल पता बदलने के लिए 2017 में लिखे गए पत्र में किसी पेटेंट आवेदन का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियंत्रक को लिखे उसी पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि पेटेंट एजेंट ने अपने विभिन्न ग्राहकों के लिए कई पेटेंट आवेदन दायर किए थे और इसलिए उसके ईमेल के परिवर्तन को दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में, पत्र नियम 5(2) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जिसके लिए एक पेटेंट आवेदन विशिष्ट संसूचना/आवेदन की आवश्यकता होती, बल्कि यह एक खुला सामान्य संसूचना था। पेटेंट कार्यालय के समक्ष विभिन्न कार्यवाही में शामिल अनुभवी पेटेंट एजेंट को अत्यधिक विशिष्ट प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था।

III. निष्कर्ष और नैसर्गिक न्याय

16. इस तरह के कदम उठाने में या तो लापरवाही, शिथिलता, आकस्मिकता, निष्क्रियता या विलंब होने के कारण, विशेष रूप से जब वे पहले ही दो स्थगनों की मांग कर चुके थे और उसका उपयोग कर चुके थे और 2020 और 2022 के बीच दो साल बीत चुके थे, तो याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय से असाधारण राहत का हकदार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह जनवरी, 2023 से या सितंबर 2023 में भी स्वीकृति-पश्चात विरोध के लिए आवेदन कर सकता था (जब वे दावा करते हैं कि उन्हें अपने विरोध की अस्वीकृति और पेटेंट देने के बारे में पता चला है)। इस संबंध में याचिकाकर्ता *इंडियन नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद एच.आई.वी./एड्स बनाम भारत संघ* 2008 एस.सी.सी. ऑनलाइन मद्रा. 892 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और *मरियम्मा रॉय बनाम इंडियन बैंक और अन्य*, (2009) 16 एस.सी.सी. 187 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, ताकि नियुक्ति का समर्थन किया जा सके कि यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, तो वे एक ऐसे उपाय के हकदार हैं जो उन्हें पेटेंट के स्वीकृति-पूर्व चरण में वापस ले जाएगा।

17. तथापि, इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने *के.एल. त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक*, (1984) 1 एस.सी.सी. 43, में कहा है:

“29. इसलिए नैसर्गिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका आकलन आरोपों की प्रकृति, ऐसी जांचों को नियंत्रित करने वाले किसी वैधानिक या प्रासंगिक नियमों की पृष्ठभूमि में की गई जांच की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए।

31. वेड ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 5 वें संस्करण के पृष्ठ 472-475 में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कब लागू किया जाना है, इसके बारे में कठोर नियम बनाना संभव नहीं है: न ही उनके दायरे और सीमा के बारे में। सब कुछ विषय-वस्तु पर निर्भर करता है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, जैसा कि वैधानिक निहितार्थ पर निर्भर करता है, हमेशा अधिनियम की स्कीम और मामले की विषय-वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। निष्पक्षता की अवधारणा के अनुप्रयोग में वास्तविक लचीलापन होना चाहिए। शिकायतकर्ता के प्रति कुछ वास्तविक पूर्वाग्रह भी रहा होगा; नैसर्गिक न्याय के केवल तकनीकी उल्लंघन जैसी कोई चीज नहीं होती है। नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताओं को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, जांच की प्रकृति, उन नियमों के तहत जिसके तहत अधिकरण कार्य कर रहा है, विषय-वस्तु पर विचार करने आदि पर निर्भर होना चाहिए। इस निर्णय को हरियाणा कीटनाशक निर्माता संघ बनाम विलोवुड केमिकल्स (पी) लिमिटेड 2022) 5 एच.सी.सी. (दिल्.) 467 में इस न्यायालय की एक समन्वय न्यायपीठ द्वारा भी उल्लिखित किया गया था।”

18. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायालय में विचार-विमर्श के भाग के रूप में बहस के दौरान, पेटेंट के स्वीकृति को रद्द किए बिना निर्णय के बाद की सुनवाई की संभावना उत्पन्न हुई, अगर याचिका में याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार कर लिया जाता। हालांकि, उपरोक्त विवेचना और विश्लेषण के अनुसार, और

अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता याचिका में मांगी गई राहत का हकदार नहीं है; इसलिए, उस संभावना पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

19. इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को स्वीकृति-पश्चात विरोध को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी यदि वे ऐसा चाहते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय ने पेटेंट के लिए याचिकाकर्ता के विरोध के गुणागुणों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

20. इस निर्णय की प्रति इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

(अनीश दयाल)

न्यायाधीश

08 जनवरी, 2024/एम.के

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।